SHRI RABI RAY: Yes, he has been prevented.

on this basis that we are looking into the problem. Let us hope, while we have not, according to the hon. Member, achieved anything during these 27 years, at least in the near future, to achieve something which would satisfy the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Motion. Mr. Shah Nawaz Khan.

MOTION REGARDING APPOINTMENT OF MEMBER OF RAJYA SABHA TO JOINT COMMITTEE ON FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL, 1973

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : Sir. on behalf of Shri Om Mehta, I beg to move the following motion:

That Shri Om Mehta be appointed to the Joint Committee of the Houses on the Foreign Contribution (Regu'ation) Bill, 1973, in the vacancy caused by the resignation of Shri Ram Niwas Mirdha from the membership of the said Joint Committee on the 22nd November, 1974."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Sakhlecha will initiate the discussion under Rule 176.

COMPLAINT RE. NON-RECEIPT OFMESSAGE ABOUT EXTERNMENT OF SHRI RAJNARAIN BYBIHAR * GOVERNMENT

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक पौइन्ट रेज करना चाहता हूं । आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि जब मैं परसों यहां दिल्ली से पटना पहुंचा तो . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Mr. Rajnarain. we have already started the discussion.

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उनको गिरफ्तार करके एक्सटर्नमेंट कर दिया बिहार सरकार ने । आपको इत्तिला नहीं पहुंची डिप्टी चेयरमैन साहब ? देखिए, बिहार सरकार कितनी पाजी सरकार है ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : As far as we are concerned, if a Member is arrested and if he is prevented from carrying out his duties as a Member of Parliament, then, of course, we are informed. But otherwise, externment order is not intimated.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि पिछली मर्त्तबा जब मैं सदन में रहा तब भी और जब से मैं दोबारा इस राज्य सभा का सदस्य हुआ हूं मैं देख रहा हूं कि जब जब बिहार या दूसरे राज्य से निष्कासन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, तब उसके सम्बन्ध में नोटिस हम लोगों को बाकायदा मिला है । और वहां के गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने बाकायदा आपको सूचित किया है ? इस बार हमने एक नई बात देखी है और हमने आज सवेरे ही इस बात की जानकारी पाने की कोशिश की कि बिहार की पुलिस ने या बिहार की मजिस्ट्रेसी ने राज्य सभा के सचिवालय को कोई सूचना दी है या नहीं ? आज सवेरे करीब 12 या साढ़े बारह बजे तक तो यह सूचना जब हमने मालूम किया था नहीं पहुंची थी और अब पहुंच गई है तो हम नहीं कह सकते हैं । हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की सूचना उनको देना अनिवार्य था या नहीं । इस चीज पर बहस हो सकती है । हमारी जितनी जानकारी है, जहां तक ब्रिटिश पद्धति की जानकारी है और जितनी जानकारी आप लोगों के साथ संसद् में बैठकर हुई है, उन्हें जानकारी देनी चाहिए और हर हालत में देनी चाहिए । अगर एक संसद का सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना उन्हें अवश्य देनी चाहिए । यह मैं कोई अपने लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहा हूं । जहां तक व्यक्तिगत सवाल का सम्बन्ध है, मैं इस चीज से निबट लूंगा ।

श्री उपसभापति : अगर गिरफ्तारी हुई है, तो देना चाहिए ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हम को वहां से निकाला गया । हम जैसे ही हवाई जहाज

[श्री राजनारायण]

की खिड़की से मुंह निकालते हैं कि इससे पहिले हम पटना में दो, तीन बार गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उस समय जो पुलिस के अधिकारी थे, वही अधिकारी आज फिर हैं। उन्होंने कहा कि बाहर आइये, एक हुक्म है। हमने कहा, क्या हुक्म है ?

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : उन्होंने देखा होगा कि वही राजनारायण है।

श्री राजनारायण : इस देश में राजनारायण एक ही है। श्रीमन्, हम कुर्सी निकालकर बैठ गए। हमें, श्री कर्पूरी ठाकुर, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री लोकनाथ जोशी. . .

श्री रबी राय : डिप्टी चेयरमैन साहब अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री राजनारायण :. . . जो सेक्रेटरी है। वे सब लोग आ गये और जो हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं, वे लोग भी आ गए। इस तरह की चीज आगे न हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में विचार करें।

श्री उपसभापति : क्या आपको गिरफ्तार किया गया ?

श्री राजनारायण : मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। हमने कहा, कहां चलो ? उन्होंने कहा, साथ चलो। हमने कहा, कारण क्या है ? श्रीमन्, हमने अपना प्रोग्राम बना रखा था और अपने कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक बुला रखी थी। हम, श्री कर्पूरी ठाकुर के साथ दफ्तर चले गए। हमारे पीछे पुलिस वाले भी आये और पुलिस के लोगों ने दस बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक दफ्तर को घेर रखा था और हमको निकलने नहीं दिया। श्रीमन, जहां पर 100 लोग मरे थे, पटना सिटी में, वहां पर संघर्ष समिति ने हमारा कार्यक्रम रखा था। पुलिस के अधिकारियों ने हमें संघर्ष समिति के कार्यक्रम में नहीं जाने दिया और कहा कि 'यू आर अन्डर अवर कस्टडी।'

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Under What?

श्री राजनारायण : कस्टडी का अर्थ क्या होगा ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Did they show you a warrant of arrest ?

श्री राजनारायण : श्रीमन, आप जानते ही हैं कि वहां पर तो रूल आफ लॉ है ही नहीं।

श्री रबी राय : आप तो वहां पर रूल आफ लॉ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर इस समय लॉ नहीं है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, वहां से हम सर्किट हाउस आते हैं . . .

श्री कल्याण चन्द : बिहार में लॉ एन्ड आर्डर है, लेकिन यही लोग चलने नहीं देते हैं।

श्री राजनारायण : : ये दलाली कर रहे हैं। इसके बाद हम सर्किट हाउस में आते हैं और हम से पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। हमने कहा अन्डर व्हट लॉ ? किस कानून के तहत नहीं जाने देंगे ? उन्होंने कहा कि हम तुम को गिरफ्तार करते हैं। हमने कहा, हम नहीं जायेंगे और हम तुम्हारी आर्डर को नहीं मानते हैं। तुम्हारा आर्डर बेहूदा है, संविधान धाती है। इसके बाद उन्होंने हमको उठा लिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do not understand where the custody is.

श्री राजनारायण : हमारी भी कोई नागरिकता है। पुलिस जब चाहे तब हमको उठा ले, जब चाहे रेल में भेज दे ? मैं यहां से आने-जाने का टिकट लेकर गया था कि 7 को जाएंगे और 8 को आएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम तुमको बिहार की सीमा में रहने ही नहीं देंगे या हम आपको जेल ले जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने हमारे नागरिक अधिकार को कुचला नहीं,

हमको कस्टडी में लिया नहीं, गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने के बाद, हमारे नागरिक अधिकारों को कुचलने के बाद चाहे जेल में ले जायें, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा में भेज दें, यह उन के ऊपर है, लेकिन हमारे नागरिक अधिकार को कुचला गया, हमको पुलिस की कस्टडी में रखा गया, पुलिस की हिरासत में रखा गया, उनकी निगरानी में रखा गया और जो हमारी सभाएं लगी हुई थीं उनमें हमको जाने नहीं दिया गया। यह सारी बात है। उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, चाहे फिर वह 10 मिनट के लिए हो, दो घन्टे के लिए हो, चाहे तीन घन्टे के लिए। रेल में जब हम आए तो पुलिस के बन्दूकची डिब्बे में बैठे रहे, कोई हमसे मिल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। तो गिरफ्तारी के माने क्या हैं ? गिरफ्तारी का मतलब सीधा यही है। क्या हमारा बोझ इतना बड़ा है कि बिहार की सरकार हमारे बोझ से दबती चली जाती है ? वह हमारे बोझ को, भार को वहन क्यों नहीं करती ? क्या नरक-कुंड के गन्दे कीड़े ने बिहार सरकार के दिमाग को इतना छलनी कर दिया है कि कोई अच्छी बात सरकार के दिमाग में रह नहीं गई है। मेरा बिहार से यह तीसरी बार एक्सटर्नमेंट कराया गया है बिहार की सीमा के बाहर। यह एक अजीबो-गरीब बात है। मैं कुछ कह नहीं सकता। अब हमारे लिए क्या रास्ता है ? अगर मैं सत्याग्रह करूं तो कुछ लोग मजाक करने वाले कहेंगे कि सत्याग्रह ऐसे होता है। इस सदन का सदस्य होने के नाते, डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनको सलाह दीजिए कि क्या बिहार कोई अलग राष्ट्र है, क्या बिहार जाने के लिए मुझे वीसा लेना पड़ेगा। बिहार हमारे राष्ट्र का एक राज्य है ? हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार हासिल है कि वह राष्ट्र के किसी कोने में आ जा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार कहती है कि हम तुमको गिरफ्तार करते हैं, तुमको उठा कर बाहर ले जाएंगे, तुमको बिहार राज्य में नहीं रहने देंगे। 'न बिहार में प्रवेश कर सकते हो, न वहां रुक सकते हो और न वहां रह सकते हो' ये तीन बातें उसमें लिखी हुई हैं। काहे ? एक संसद का सदस्य, जिसको देश के कोने-कोने में इधर से उधर जाने का पास मिला हुआ है, उस पर यह प्रतिबन्ध है। आज बिहार में ला एंड आर्डर नहीं रह गया है, आज वहां हत्याएं होती हैं, नित्यप्रति गोलियां चलाई जा रही हैं। तो मैं क्या करूं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) : वह राजा जनक का प्रदेश है। वहां सब सच्चे जाते हैं, झूठे प्रवेश नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण : इसका कहना है कि हम झूठों में झूठे हैं। मेरा तो यह प्रत्युत्तर है कि मैं तो बराबर कहता रहा हूं कि वशिष्ठी ब्राह्मणों ने मिल कर तुलसीहन राम को मरवा दिया।

यह हमारा हरिजन सदस्य है। बाहर यही कहता है कि केवल आप ही हरिजनों के बारे में बोलते हैं, लेकिन यहां हल्ला मचाएगा। मेरा निवेदन केवल यह है—ओम मेहता साहब यहां नहीं हैं लेकिन दीवालों के भी कान हों तो यह उन तक पहुंचा दें—कि हमने ओम मेहता साहब से कहा कि हम टिकट बनवा रहे हैं, हम बिहार जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी मिनिस्टर आफ एजूकेशन श्री डी० पी० यादव और एक और मिनिस्टर भी गए। लोगों ने हमारा बैग भी उठा लिया था। गफूर साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने अमन-चैन की कोई खतरा नहीं है; मैं बिलकुल शान्ति के साथ जाता हूं। मुझे बहुत खुशी है हमारे मित्र भूपेश गुप्त आ गए हैं क्योंकि वे संसद-सदस्यों के अधिकारों के लिए कहते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि भूपेश गुप्त कुछ बोलें। मैं बिहार जाता हूं तो मुझ बाकायदा गिरफ्तार करके

[श्री राजनारायण]

पुलिस के जरिए बलपूर्वक उठा कर रेल में बिठा कर बाहर भिजवा दिया जाता है। क्यों ? यह कौन सा कानून है ? यह कौन सा संविधान है ? इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो विशेषाधिकार का हमारा प्रश्न है नोटिस के रूप में, जिस को मैंने आप के सामने भेजा है उस को विचारार्थ कल यहां रखा जाए।

DISCUSSION UNDER RULE 176 RE : GOVERNMENT POLICY ABOUT FIXATION OF PRICE OF SUGARCANE—

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया हूं। मान्यवर, गन्ने की कीमत जो भारत सरकार ने 8 या साढ़े आठ रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है उस के कारण सारे देश के गन्ना किसानों के अन्दर भयंकर असन्तोष विद्यमान है और वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए है या केवल शक्कर मिल मालिकों के हितों के संरक्षण और उन को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का अवसर देने के लिए है। जो भाव निर्धारित किए गए हैं; उपसभापति महोदय, उनके लिए भारत सरकार यह कहती है कि उस ने गन्ने के न्यूनतम भाव निर्धारित किए हैं। मेरा निवेदन है कि एक तो भारत सरकार न्यूनतम भाव क्यों निर्धारित करना चाहती है और मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि शक्कर के सम्बन्ध में जो सारी नीति है वह इतनी गलत है कि जिस के कारण ही गन्ने के किसानों का शोषण होता है। यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की शक्कर सम्बन्धी सारी नीति अत्यन्त किसान विरोधी है, किसानों का शोषण करने वाली है और मिल मालिकों को हर प्रकार का लाभ पहुचांने वाली है, और उस का इस के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य दिखायी नहीं देता। उपसभापति महोदय, जहां तहां हम समाजवाद की चर्चा सुनते हैं, गरीबों के पोषण की बात सुनते हैं और इन्दिरा जी ने अभी एक इंटरव्यू दिया जिस में उन्होंने कहा कि हम गरीबों का संरक्षण करना चाहते हैं। भारत सरकार की नीति तो गरीबों के हितों की रक्षा करना है और अगर वह ऐसा नहीं करती तो क्लास स्ट्रगल हो जाएगा और गरीबों का पोषण नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार या इन्दिरा जी गरीबों के हितों के संरक्षण की बात करती हैं और किसानों के गन्ने का भाव 8 और साढ़े आठ रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित करती हैं तो क्या ऐसा करके वह गरीब किसानों पर अत्याचार नहीं कर रही हैं ? क्या ऐसा कर के वह गरीब किसानों को उन के परिश्रम के फल से वंचित नहीं कर रही हैं। मेरा निवेदन है कि हर दृष्टि से विचार कर लिया जाए कि गन्ने की कीमत 8 या साढ़े आठ रुपया फिक्स करना क्या उचित है जब कि आज शक्कर के भाव इतने ऊँचे जा रहे हैं। दुनिया के बाजार में आज शक्कर की कीमत बढ़ी हुई है और भारी परिमाण में हम शक्कर को अपने यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा कर के काफी मुनाफा कमा रहे हैं और इस सदन में जब शक्कर के एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा होती है तो सभी वर्गों और दलों के सदस्यों द्वारा कामर्स मिनिस्टर से मांग की जाती है कि आज जो शक्कर को ऊँचे भाव पर एक्सपोर्ट करने के कारण जो मुनाफा प्राप्त होता है वह किसानों तक पहुचाने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है। उस का कोई जवाब नहीं दिया जाता क्या आप चाहेंगे कि वह उन तक पहुंचे ? आप देखेंगे कि भारत सरकार ने केवल 50 पैसे प्राइस बढ़ाया है। प्रथम तो मैं इस बात का विरोधी हूँ कि भारत सरकार को कोई मिनिमम प्राइस फिक्स करना चाहिए। सरकार को उचित कीमत फिक्स करनी चाहिए कि इस से कम दाम उन को नहीं